

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की समस्या व रोकथाम हेतु प्रयास

इन्द्र मोहन पन्त

शोध छात्र

राजनीति विज्ञान एम०बी०रा०स्ना०महा० हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रो० कैलाश चन्द्र

विभागाध्यक्ष

राजनीति विज्ञान एम०बी०रा०स्ना०महा० हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड की कुल आबादी में ग्रामीण आबादी 75 प्रतिशत हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। कृषि उद्यान एवं पशुपालन उत्तराखण्ड की अधिसंख्य आबादी की आजीविका का मुख्य आधार रहा है। उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व तत्कालीन उत्तर प्रदेश में भी यहाँ की कृषि को लाभकारी बनाने एवं पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने की न तो कोई ठोस व कारगर नीति बन पाई और न ही कोई फलदायी कार्यक्रम लागू हो पाये। प्रदेश के कृषि विकास या किसानों के हितार्थ जो भी नीति या नियम-कानून बने, वह मैदानी क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं और उनके हितों को ध्यान में रखकर ही बनाये गये। फलस्वरूप पहाड़ की कृषि व अन्य विकास लगातार स्थिर बना रहा अथवा मंथर गति से विकास के क्रम को दोहराता गया। परिणामस्वरूप इस भू-भाग की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती गई, जिससे ग्रामीण काश्तकार आबादी में गरीबी का प्रतिशत बढ़ता गया और गाँवों से पलायन निरन्तर जारी रहा।

जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ भूमि वितरण भी प्रभावित होता गया। वनों के दबाव के बीच पहाड़ों में काश्तकार भूमि अब परिवार की गुजर-बसर के लायक भी नहीं रह गई है। जोतों के लगातार छोटे होने और भौतिक विकास के परिणाम स्वरूप विगत कई वर्षों से ग्रामीण आबादी का पलायन तेजी से बढ़ा है। पलायन में जहाँ नौकरी की तलाश में पढ़ा लिखा वर्ग शामिल है, वहीं बढ़ी संख्या में अनपढ़ व कम पढ़े लिखे लोगों का पलायन यहाँ की श्रम शक्ति को निरंतर प्रभावित कर रहा है। उत्तराखण्ड से लगातार हो रहे पलायन से यहाँ की परम्परागत कृषि, काष्ठ कला व लौह कला व अन्य काम-धन्धों पर विपरीत असर पड़ा है। पर्वतीय क्षेत्र के गांव में अनाज, दुध व फल उत्पादन में भारी कमी आयी है। आजादी के पूर्व यहाँ अधिकांश गाँवों के लोग खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर थे, केवल नमक, साबुन व कपड़ों के लिये ही उन्हें बाजार की जरूरत थी। वहीं आज असिंचित क्षेत्र के गाँवों में एक माह के लिए भी काश्तकार उत्पादन नहीं कर पा रहा है। पूरी ग्रामीण आबादी की बाजार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। वन्य जीवों के हमले, प्रतिकूल मौसम और श्रम शक्ति के अभाव के साथ प्रोत्साहन के अभाव में लोगों की खेती व पशुपालन की ओर दिन प्रतिदिन रुचि घटती जा रही है।

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के पीछे यहीं पीड़ा उजागर हुई। राज्य का गठन पिछड़े आर्थिक स्तर को सुधारने तथा तीव्र विकास को गति प्रदान करने के लिये किया गया था। उत्तराखण्ड में लगभग 10 जनपदों को पिछड़े जनपदों में गिना जाता है। इस पिछड़ेपन ने इन जनपदों में गरीबी और पलायन को जन्म दिया है। इससे बाहर आने का रास्ता पर्वतीय निवासी उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना से जोड़ने लगे थे। आज भी गरीबी का निदान यहाँ के लोगों के लिये पलायन में है न कि स्थानीय आर्थिक विकास में। पिछले दशक (1991–2001) की जनसंख्या वृद्धि की दर पूरे उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में और विशेषकर पर्वतीय जिलों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता चलता है कि इन जनपदों में पलायन की दर और भी तीव्र गति से बढ़ रही है। इन जनपदों में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आने का प्रमुख कारण पलायन ही है। पलायन की विकासील समस्या के चलते आज हिमालयी क्षेत्रों को लेकर अलग से विकास नीति बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। जनसंख्या के आंकड़ों पहाड़ से निरन्तर हो रहे पलायन की पुष्टि कर रहे हैं—

जिला	वर्ष 2011			दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
	कुल	पुरुष	महिला	
उत्तरकाशी	330086	168597	161489	11.89
चमोली	391605	193991	197614	5.74 (-2.87)
टिहरी गढ़वाल	618931	297986	320945	2.35 (0.63)
देहरादून	1696694	892199	804495	32.33

पौड़ी गढ़वाल	687271	326829	360442	-1.41 (-4.70)
रुद्रप्रयाग	242285	114589	127696	6.53 (-4.29)
पिथौरागढ़	483439	239306	244233	4.58 (0.74)
अल्मोड़ा	622506	291081	331425	-1.28 (-4.39)
नैनीताल	954605	493666	460939	25.13 (17.87)
बागेश्वर	259898	124326	135572	4.18 (2.61)
चम्पावत	259648	131125	128523	15.63 (11.72)
कुल पर्वतीय क्षेत्र	6546968	3273695	3273273	12.75
उत्तराखण्ड	1648902	858783	790119	33.45
हरिद्वार	1890422	1005295	885127	30.63
कुल मैदानी क्षेत्र	3539324	1864078	1675246	31.93
उत्तराखण्ड	10086292	5137773	4985519	18.81

उपरोक्त आंकड़ों में दृष्टिपात होने पर ज्ञात हो रहा है कि मैदानी भागों की जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में यह न्यून व नकारात्मक है जो जनसंख्या के स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रतिकूल है। इस हेतु प्रयास किये जाने अत्यन्त आवश्यक हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने व समन्वित विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा व ग्राम्य विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण—

उत्तराखण्ड में पलायन को रोकने व गति को कम व विकास हेतु सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग व राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वित किया जा रहा है जिनका विवरण इस प्रकार है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की क्षमता एवं कौशल विकास कर उनकी आर्थिक स्थिति को सदृढ़ एवं सतत आजीविका संवर्द्धन सुनिश्चित करना है। मिशन के अन्तर्गत वर्तमान समय में 36650 स्वयं सहायता समूह की 2.85 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर 4247 ग्राम संगठन तथा 256 कलस्टर स्तरीय संगठन का गठन किया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना : इस परियोजना के अन्तर्गत माह मार्च 2022 तक 25000 अभ्यर्थियों के सापेक्ष कुल 4416 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रगति पर है। 8114 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है जिसमें से 2374 को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण : इस योजना के द्वितीय फेज में आवास प्लस सूची में सम्मिलित पात्र 63649 परिवारों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु कुल 16472 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : यह केन्द्र पोषित योजना गांवों से हो रहे पलायन को रोकने में स्थानीय स्तर पर मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने में कारगर साबित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के माह मार्च, 2022 तक भारत सरकार द्वारा ₹ 96.67 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश हिस्से के रूप में ₹ 32.22 करोड़ अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष पूर्ण धनराशि व्यय की जा चुकी है। 30962 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर 243.22 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। राज्य में कुल 12.49 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये गये, जिनमें से सक्रिय जॉब कार्डों की संख्या 7.98 लाख है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक प्रति परिवार औसत लगभग 42.42 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना : प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी योजना है। जो असंबद्ध गांव को अच्छी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। मैदानी के इलाकों में 500 से अधिक की आबादी वाले एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की बसावटों के संयोजन हेतु यह योजना संचालित है। नवीन तकनीक के द्वारा वर्ष 2017–18 से मार्च 2022 तक कुल 2026 किलोमीटर लंबाई में मार्ग का निर्माण कराया गया है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना : सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी माननीय सांसद गण ने अपने संसदीय क्षेत्र से चरण 1 से चरण 8 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का चयन किया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन : इसके अंतर्गत स्थानीय आर्थिक विकास को बनाए रखना, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना और योजनाबद्ध तरीके से रूबन कलस्टरों का सृजन करना है। योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के कलस्टर को 'रबन गांव' के रूप में विकसित करना है। मिशन के अंतर्गत राज्य में 3 चरणों में कुल 6 कलस्टरों का चयन किया गया है, तथा एक नवीन जनजातीय कलस्टर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य को आवंटित किया गया है। कुल चिन्हित 6 कलस्टरों के लिए अब तक कुल प्राप्त धनराशि 82.60 करोड़ के सापेक्ष माह मार्च 2022 तक 79.53 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा कुल 988 कार्यों में से 407 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा शेष कार्य गतिमान हैं।

सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP : इस कार्यक्रम द्वारा पांच सीमांत जनपदों के 9 विकास खंडों में आवासीय आम जनमानस के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न अवस्थापना सृजन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिसमें जनपद चंपावत में चंपावत, लोहाघाट। चमोली में जोशीमठ, पिथौरागढ़ में धारचूला, मुन्सियारी, मूनाकोट तथा कनालीछीना, उधम सिंह नगर में खटीमा उत्तरकाशी में भटवाड़ी विकासखंड का चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–2020 एवं 2020–21 में भारत सरकार द्वारा क्रमशः 4967.88 लाख तथा 3361.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। माह मार्च 2022 तक वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के सापेक्ष क्रमशः 4562.96 लाख तथा 1572.94 लाख की धनराशि विभिन्न कार्यों में व्यय की जा चुकी है।

राज्य पोषित योजनाएं

मेरा गांव मेरी सड़क योजना : इस इस योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक कुल अवमुक्त धनराशि र 2463.50 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 1520.24 लाख व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 102 सड़कों के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक 21 सड़कें पूर्ण एवं 52 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है जिसने 37.409 किमी० सड़क निर्मित की गई है।

इन्दिरा अम्मा भोजनालय:— महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित इन भोजनालयों में गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 35.83 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 35.35 लाख की धनराशि उपयोग की गयी है तथा 519413 व्यक्तियों द्वारा इन्दिरा अम्मा भोजनालयों में भोजन किया गया।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project&ILSP)

ग्रामीणों के आजीविका सुधार हेतु संचालित की जा रही योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 44 नये विकासखण्डों में कुल 3569 गाँवों में 14228 उत्पादक समूहों के माध्यम से 137109 परिवारों को विभिन्न गतिविधियों में सहयोग दिया गया है।

मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना : राज्य के 9 सीमांत विकास खंडों में आवासीय परिवारों को सतत आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए सीमांत क्षेत्रों में पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है यह योजना संचालित है इस योजना अंतर्गत मुख्य रूप से आजीविका से संबंधित बागवानी, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास कार्य किए जा रहे हैं।

ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर : ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता व्यवसाय तथा आजीविका संबंधी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में गठित समूहों के सूक्ष्म उद्यम को बढ़ावा देकर उनके रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु वातावरण तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक नई पहल के रूप में ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर की स्थापना क्रमशः जनपद पौड़ी के दुगड़ा विकासखंड के कोटद्वार तथा जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में हो चुकी है।

पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाएं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वर्ष 2017–18 में शत–प्रतिशत केंद्र पोषित इस योजना को वर्ष 2018–19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचनाओं से संबंधित मदों को 90:10 के अनुपात में केंद्रांश व राज्यांश के तहत जबकि केंद्र की पुरस्कार योजनाओं तथा ई–पंचायती राज से संबंधित योजनाओं को शत प्रतिशत केंद्रांश के माध्यम से आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः क्षमता विकास से संबंधित कार्यक्रम सम्मिलित हैं। जिनका प्रशिक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाना है। ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करते हुए ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित करना है।

राज्य पंचायत संसाधन केंद्र : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वर्ष 2017–18 के अंतर्गत राज्य पंचायत संसाधन केंद्र हेतु 100 लाख तथा अपग्रेडेशन हेतु वर्ष 2020–21 मई 25 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। संसाधन केंद्र के निर्माण हेतु कुल 370.80 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है।

ए०पी०जे० कलाम ग्राम बदलाव योजना : इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में समस्त 7791 ग्राम पंचायतों में बैठके आहूत करते हुए योजनाएं प्लान प्लस पर अपलोड कर दी गयी हैं।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल : इस पोर्टल के अन्तर्गत निम्न 03 एप्लीकेशन्स को सम्मिलित किया गया हैरू—

1. प्रिया सापट— ई-पंचायत के अन्तर्गत पंचायतीराज इन्स्टीट्यूशन्स एकाउण्टिंग सॉफ्टवेयर्स विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य समस्त पंचायतीराज संस्थाओं को अवमुक्त घनराशि का आवंटन एवं भुगतान करना है।

2. प्लान प्लस— इसका उद्देश्य नियोजन का विकेन्द्रीकरण करना तथा जिला स्तर पर सैक्टर वार योजनाओं के निर्माण को सरल बनाना है।

3. एक्शन सॉफ्ट— इसके अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों, शहरी स्थानीय निकायों व लाईन विभागों द्वारा अनुमोदित एक्शन प्लान के अन्तर्गत करवाएं जा रहे कार्यों का भौतिक एंव वित्तीय प्रगति के आंकड़े रखे जाते हैं तथा इनका अनुश्रवण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु अनेक पुरुस्कारों का भी प्रावधान किया गया है।

- दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरुस्कार।
- नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरुस्कार।
- बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरुस्कार।
- ग्राम पंचायत विकास परियोजना पुरुस्कार।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति।

सन्दर्भ सूची

1-Human development report of the state of Uttarakhand 2018

2-Economic survey part I 2021-22

3-Economic survey part II 2021-22

4-Report palayan aayog 2018

5- Statistical diary uttarakhand 2021-22